

OFFICE OF THE ADDL. CHIEF TOWN PLANNER

RAJASTHAN HOUSING BOARD:JAIPUR

NO : ACTP/RHB/JPR/2019-20/36

Dt: 30/04/19

To,
The Hon'ble Chairman/Housing Commissioner,
Rajasthan Housing Board, Jaipur.

The Chief Town Planner, Town Planning Department,
Govt. of Rajasthan, Jaipur.

Chief Engineer-I/Chief Engineer-II/Chief Engineer-(HQ)
Addl.C.E.-I/Addl.C.E.-III, Jaipur,
Addl. Chief Engineer-II, Jodhpur,
Rajasthan Housing Board.


Sub: Minutes of the 155th meeting of the Project Committee held on 24.04.2019

Sir,

Minutes of the 155th meeting of the Project Committee held on 24.04.2019 are
enclosed herewith for your kind perusal.

Thanking You,

Yours Sincerely


30/4/19

(S. L. SETHI)
ADDL. CHIEF TOWN PLANNER &
MEMBER SECRETARY

एजेण्डा नं 1	परियोजना समिति की 154वीं बैठक दिनांक 15.03.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 154 वीं बैठक दिनांक 15.03.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 2	परियोजना समिति की 154 वीं बैठक दिनांक 15.03.2018 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 154 वीं बैठक दिनांक 15.03.2018 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति हेतु सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त स्तर से क्रियान्विति रिपोर्ट प्राप्त कर आवासन आयुक्त महोदय को अवलोकन करवाया जावे।
एजेण्डा नं 3	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4 A (i) के तहत बडली आवासीय योजना (Group Housing) सेक्टर-4 (Block-4-A) क्षेत्रफल 25000.00 वर्ग मीटर तथा सेक्टर-5 (Block-5-A) क्षेत्रफल 25000.00 वर्ग मीटर के साईट प्लान अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बडली आवासीय योजना जोधपुर की जोधपुर नगर की सीमा से दूरी व वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं आस-पास स्थित विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान स्थिति में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 प्रावधान 4 A (i) के तहत E.W.S./L.I.G. (G+3) फ्लैट्स बनाया जाना व्यवहारिक नहीं होगा। पूर्व में भी पीपीपी मोड के तहत कोई प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो पाए है। अतः E.W.S./L.I.G. (G+3) फ्लैट्स के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता अनुसार प्रथम-फैज में E.W.S./L.I.G. के लगभग 500 स्वतंत्र आवासों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करवाकर पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर मानचित्र जारी किये जावे एवं इसके पश्चात् द्वितीय-फैज में भविष्य की आवश्यकता अनुसार E.W.S./L.I.G. के G/(G+1) तथा तृतीय-फैज में E.W.S./L.I.G. के G/(G+1) / (G+2) के प्रस्ताव तैयार किये जावे।
एजेण्डा नं 4	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4 A (i) के तहत सेक्टर-7, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर क्षेत्रफल 4738.00 वर्ग मीटर, 6210.00 वर्ग मीटर के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण में इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना का मास्टर डवलपमेंट प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन वर्ष 2000 में ही हो चुका है एवं वर्ष 2006 में जनहित याचिका संख्या-4644/2003 एवं 1844/2001 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ द्वारा निर्णय पारित कर स्वीकृत किया जा चुका है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश दिनांक 12.01.2017 व दिनांक 15.12.2018 के निर्देश योजना पर लागू नहीं होते हैं। अतः विचार-विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4 A (i) के तहत E.W.S./L.I.G. (G+3) फ्लैट्स के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये। पूर्व में प्रश्नगत भूखण्डों को पीपीपी मोड एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में भी प्रस्तावित किया गया था, परन्तु उक्त भूखण्डों पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण क्रियान्विति नहीं की जा सकी थी। अतः उक्त परिस्थिति को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के सभी प्रकरणों में विशेष प्रावधान के रूप में भू-तल के भू-आच्छादन का मुख्य सड़क की ओर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल व्यावसायिक उपयोग हेतु आरक्षित किया जावे ताकि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रकरणों की क्रियान्विति सुगमता से हो सकें।

92

एजेण्डा नं 5	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4 A (i) के तहत सेक्टर-1, अरावली विहार, भिवाड़ी के PLOT-4B क्षेत्रफल 2070.00 वर्ग मीटर, PLOT-4A क्षेत्रफल 2865.00 वर्ग मीटर, PLOT-5 क्षेत्रफल 2100.00 वर्ग मीटर, एवं सेक्टर-1, अरावली विहार, मिल्कपुर, गुर्जर, भिवाड़ी के PLOT-1 क्षेत्रफल 5397.30 वर्ग मीटर, PLOT-2 क्षेत्रफल 6245.40 वर्ग मीटर, PLOT-3 क्षेत्रफल 4355.40 वर्ग मीटर कुल (6 भूखण्डों) के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रकरण को स्वीकृत किया जाता है। पूर्व में प्रश्नगत भूखण्डों को पीपीपी मोड एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में भी प्रस्तावित किया गया था, परन्तु उक्त भूखण्डों पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण क्रियान्विति नहीं की जा सकी थी। अतः उक्त परिस्थिति को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के सभी प्रकरणों में विशेष प्रावधान के रूप में भू-तल के भू-आच्छादन का मुख्य सड़क की ओर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल व्यावसायिक उपयोग हेतु आरक्षित किया जावे ताकि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रकरणों की क्रियान्विति सुगमता से हो सकें।
एजेण्डा नं 6	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4 A (ii) तथा 1 A के तहत शाँहजंहापुर आवासीय योजना में Group Housing के भूखण्ड क्षेत्रफल 65120.28 वर्ग मीटर के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 7	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1 (A) एवं प्रावधान 4 A (i) एवं 4 A (ii) के तहत प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर के सेक्टर-3 एवं ब्लॉक-266, सेक्टर-26 (प्लॉट नम्बर-A), द्वारकापुरी फैंज-II के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि (i) सेक्टर-3, प्रताप नगर, सांगानेर पर प्रस्तावित 7315.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड को भी मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1 (A) के स्थान पर प्रावधान 4 A (ii) के तहत ही नियोजित कर पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जावे। (ii) ब्लॉक-266, सेक्टर-26 (प्लॉट नम्बर-A) प्रताप नगर, सांगानेर पर प्रस्तावित 20925.73 वर्ग मीटर तथा (iii) द्वारकापुरी योजना, फैंज-II, प्रताप नगर क्षेत्रफल 18853.00 वर्ग मीटर को मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4 A (ii) के तहत अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के सभी प्रकरणों में विशेष प्रावधान के रूप में भू-तल के भू-आच्छादन का मुख्य सड़क की ओर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल व्यावसायिक उपयोग हेतु आरक्षित किया जावे ताकि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रकरणों की क्रियान्विति सुगमता से हो सकें।
एजेण्डा नं 8	ग्राम शिवबाड़ी अनुमोदित आवासीय योजना में खातेदारों को दिये जाने हेतु व्यावसायिक भूखण्डों के नियोजन व नम्बरिंग बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संशोधित एजेण्डा प्रस्ताव परियोजना समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
एजेण्डा नं 9	सेक्टर-3, जोन-34, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में सामुदायिक भवन के निर्माण बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रकरण को स्वीकृत किया जाता है साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में योजनाओं में सामुदायिक भवन हेतु आरक्षित भूखण्ड पर सामुदायिक भवन निर्माण के भवन मानचित्र अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल स्तर पर ही अनुमोदित कर जारी किये जावे। साथ ही मण्डल की योजनाओं में Public Facilities/Utility के भूखण्डों पर निर्माण स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के स्तर पर ही किये जाने हेतु प्रस्ताव पत्रावली पर प्रस्तुत किया जावे।

2/2

एजेण्डा नं 10	सेक्टर-26, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में सामुदायिक भवन के निर्माण बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रकरण को स्वीकृत किया गया।
एजेण्डा नं 11	पानेरियों की मादड़ी योजना, उदयपुर के एलएनसी हेतु प्रस्तावित किये जाने वाले भूखण्डों की प्लानिंग करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना में स्टेर्डड साईज के भूखण्ड (योजना अनुसार) नियोजित कर एजेण्डा प्रस्ताव पुनः परियोजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
एजेण्डा नं 12	मानसरोवर योजना में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु भृगु पथ की चौड़ाई निर्धारण हेतु।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास योजना व जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 24.00 मीटर रखी जावे। मेट्रो की दीवार बनने के कारण जहाँ भी सड़क 24.00 मीटर से कम है उक्त स्थान पर मेट्रो से 24.00 मीटर सड़क हेतु आवश्यक भूमि खाली करवायी जावे। उक्त हेतु राजस्थान आवासन मण्डल व मेट्रो के अभियन्ता संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर क्रियान्विति करेंगे।
एजेण्डा नं 13	महला आवासीय योजना में खण्ड-कार्यालय द्वारा प्रेषित नवीनतम सर्वे रिपोर्ट अनुसार योजना मानचित्र में संशोधन एवं Sewerage Treatment Plant (S.T.P) नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में परियोजना समिति की बैठक की प्रत्याशा में मानचित्र जारी किया जा चुका है। अतः एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 14	आवासीय योजना इन्दिरा गांधी नगर (विस्तार) जयपुर के अनुमोदित मानचित्र में रेलवे की भूमि की सीमा में मौके के अनुसार प्लानिंग में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रकरण को स्वीकृत किया गया। अवाप्त भूमि से योजना का क्षेत्रफल अधिक होने के संबंध में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त योजना का डिमार्केशन करवाने के उपरांत योजना के क्षेत्रफल के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए डिमार्कटेड प्लान आयोजना शाखा को भिजवायें।
एजेण्डा नं 15	आवासीय योजना इन्दिरा गांधी नगर जयपुर में बस स्टेण्ड हेतु नियोजित भूमि में से सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (STP) हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार बस स्टेण्ड हेतु आरक्षित 20290.00 (लगभग) वर्ग मीटर भूमि में से 5362.32 वर्ग मीटर भूमि सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (STP) हेतु आरक्षित किये जाने के पश्चात् शेष 14927.68 वर्ग मीटर भूमि बचती है जो कि बस स्टेण्ड हेतु पर्याप्त है। अतः 5362.32 वर्ग मीटर भूमि पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (STP) नियोजन का प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया। प्रकरण में परियोजना समिति की बैठक की प्रत्याशा में मानचित्र जारी किया जा चुका है। अतः एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा नं 16	सेक्टर-18, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Petrol Pump व वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु आरक्षित स्थल के पुनः नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित भूखण्ड को 30.00 मीटर सड़क एवं 60.00 मीटर की सड़क के कोने पर पेट्रोल पम्प हेतु $30.00 \times (20.00 + 23.30) / 2 = 649.50$ वर्ग मीटर का भूखण्ड सृजित करते हुए 60.00 मीटर सड़क की ओर 2 व्यावसायिक भूखण्ड तथा 30.00 मीटर सड़क (कुम्भा मार्ग) की ओर 2 व्यावसायिक भूखण्ड सृजित किया जावे। शेष भूमि जो कि 24.00 मीटर सड़क पर (ग्रुप हाउसिंग की ओर) स्थित है, पर 2 भूखण्ड मिश्रित भू-उपयोग हेतु सृजित किये जावें।

अन्य प्रकरण अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित परियोजना स्क्रीनिंग समिति एवं भवन मानचित्र स्क्रीनिंग समिति की आवश्यकता नहीं होने के कारण उक्त समितियों को समाप्त किया जाता है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना समिति से अनुमोदित प्रकरणों की क्रियान्विति आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात् की जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

21/30/4/19

(एस. एल. सेठी)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

सदस्य-सचिव,